

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदोसर जिला चित्तौडगढ राज0
पीठासीन अधिकारी- श्री शंकरलाल सालवी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-182 / 2017

उनवान

दिनांक 11-10-2019

शंभूसिंह पिता नाथूसिंह राव वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर

।। बनाम ।

.....वादी

1. महेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह राव वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
2. रायसिंह पिता नाथूसिंह वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
3. एमानंसिंह पिता भेरा वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
4. लक्ष्मणसिंह पिता भेरा वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदोसर जिला चित्तौडगढ


.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188, रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित- श्री नरेन्द्रसिंह वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम शहीद राजेन्द्रसिंह नगर (गन्डेडी) पटवार हल्का आक्या की खाता संख्या 191 की आराजी नम्बर 781, रकबा 0.6500 हैक्टैयर एवं खाता संख्या 192 आ0न0. 230, 238, 239, 240, 241, 644, 647, 841, 842, 1000, 1004, 1006, 1007, 1018, 1044, 1047, 1048, 1050, 1052, किता-19 कुल रकबा 4.88 हेक्टैयर भूमि स्थित होकर मौके पर किसी प्रकार का विधि अनुसार विभाजन नहीं हुआ है उक्त आराजीयात में वादी संख्या 1 का खाता संख्या 191 में 1/3 व खाता संख्या 192 में 1/9 हिस्सा है और वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर कब्जे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । किन्तु भूमि के उपयोग उपभोग , लगान अदायगी , फसल बुवाई एवं कटाई, अवेराई आदि के समय विवाद रहता है । अतः माफिक हिस्सा बंटवारा कराया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बाद कार्यवाही दिनांक 22.05.2018 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा शहीद राजेन्द्रसिंह नगर (गन्डेडी)की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदोसर को कमीशनर नियुक्त किया गया


उपखण्ड अधिकारी
भदोसर, चित्तौडगढ

। आदेश की पालना में तहसीलदार भदोसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।


क. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	शंभूसिंह पिता नाथूसिंह राव नि० शहीद राजेन्द्रसिंह नगर (गंठेडी)	230/2 781/2	0.53 0.21	7-42 2-94
	योग	किता-2	0.74	10-36
2	श्री महेन्द्रसिंह पि० रूपसिंह 1/9 रायसिंह पि० नाथूसिंह 1/9 'शंभूसिंह पि० नाथूसिंह 1/9 ऐमानसिंह पि० लक्ष्मणसिंह पि० भेरा 2/3 सा०देह	240मी 239मी 230/1	0.01 0.03 0.01	रास्ता- रास्ता- रास्ता-
		किता-3	0.05	-
3	महेन्द्रसिंह पि० रूपसिंह 1/3 रायसिंह पि० नाथूसिंह 1/3 शंभूसिंह पि० नाथूसिंह 1/3 सा०देह	781/1	0.03	रास्ता
	योग	किता-1	0.03	-
4	महेन्द्रसिंह पि० रूपसिंह 1/2 रायसिंह पि० नाथूसिंह 1/2 सा०देह	781 मी	0.41	5.74
	योग	किता-1	0.41	5.74
5	महेन्द्रसिंह पि० रूपसिंह रायसिंह पि० नाथूसिंह 102/422 लक्ष्मणसिंह पि० भेरा 320/422 सा०देह	238 239/1 240 241 644 647 841 842 1000 1004 1006 1007 1018 1044 1047 1048 1050 1052 230मी	0.01 0.71 0.04 0.23 0.25 0.24 0.44 0.33 0.18 0.08 0.13 0.16 0.32 0.13 0.04 0.19 0.04 0.24 0.46	14.00 14.91 0.52 2.99 3.25 3.12 6.16 4.62 2.34 2.16 3.51 4.32 6.72 3.51 1.08 5.13 1.08 3.12 6.44
	योग	किता-19	4.22	75.12




उपखण्ड अधिकारी
भदोसा, चित्तौड़गढ़

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।




(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदोसर

मूल वाद में डिक्री
(व्य०प्र०सं० के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-भदोसर जिला चित्तौडगढ (राज०)
बईजलास - श्री शंकरलाल सालवी, आर०ए०एस०,

शंभूसिंह पिता नाथूसिंह राव वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर

.....वादी

॥ बनाम ॥

1. महेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह राव वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
2. रायसिंह पिता नाथूसिंह वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
3. एमानसिंह पिता भेरा वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
4. लक्ष्मणसिंह पिता भेरा वयस्क निवासी शहीद राजेन्द्रसिंह नगर(गन्डेडी) तहसील भदोसर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदोसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188, रा० का० अधि० 1955
प्रकरण सं०. 182/2017 ई०रे०

वादी की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादी की ओर से वकील - की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 11-10-2019 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर हख फर्द बंटवारा वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि मौजा 'शहीद राजेन्द्रसिंह नगर (गन्डेडी) पटवार हल्का आक्या की वाद वर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है

क. सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	शंभूसिंह पिता नाथूसिंह राव नि० शहीद राजेन्द्रसिंह नगर (गन्डेडी)	230/2 781/2	0.53 0.21	7-42 2-94
	योग	किता-2	0.74	10-36
2	श्री महेन्द्रसिंह पि० रूपसिंह 1/9 रायसिंह पि० नाथूसिंह 1/9 'शंभूसिंह पि० नाथूसिंह 1/9 एमानसिंह पि० लक्ष्मणसिंह पि० भेरा 2/3 सा०देह	240मी 239मी 230/1	0.01 0.03 0.01	रास्ता- रास्ता- रास्ता-
	योग	किता-3	0.05	-
3	महेन्द्रसिंह पि० रूपसिंह 1/3 रायसिंह पि० नाथूसिंह 1/3 शंभूसिंह पि० नाथूसिंह 1/3 सा०देह	781/1	0.03	रास्ता
	योग	किता-1	0.03	-
4	महेन्द्रसिंह पि० रूपसिंह 1/2 रायसिंह पि० नाथूसिंह 1/2 सा०देह	781 मी	0.41	5.74
	योग	किता-1	0.41	5.74




उपखण्ड अधिकारी
भदोसर, चित्तौडगढ

5	महेन्द्रसिंह पि0 रूपसिंह रायसिंह पि0 नाथूसिंह 102/422 लक्ष्मणसिंह पि0 भेरा 320/422 सा0देह	238	0.01	14.00
		239/1	0.71	14.91
		240	0.04	0.52
		241	0.23	2.99
		644	0.25	3.25
		647	0.24	3.12
		841	0.44	6.16
		842	0.33	4.62
		1000	0.18	2.34
		1004	0.08	2.16
		1006	0.13	3.51
		1007	0.16	4.32
		1018	0.32	6.72
		1044	0.13	3.51
		1047	0.04	1.08
		1048	0.19	5.13
		1050	0.04	1.08
1052	0.24	3.12		
230मी	0.46	6.44		
योग		किता-19	4.22	75.12

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । यह आज दिनांक 11-10-2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।



(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
पिथौरागढ़ जिला
भदरपुर, पिथौरागढ़
भदरपुर